न्यायालय सी०जे०एम० बुलन्दशहर।
मुकदमा अपराध संख्या - 439/2018
अन्तर्गत धारा - 498A, 323, 504, 506,427 IPC
व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना - गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर।

दिनांकः- 22-1-2019

उपरोक्त प्रकरण में पूर्वादेशानुसार अन्तरिम जमानत पर उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध **अभियुक्त नितिश शर्मा उर्फ नितेश** की तरफ से स्वयं को निर्दोष तथा झूँठा फँसाने का कथन मुख्य रूप से करते हुए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। यह भी कथन किया है कि पीडिता के मायके वाले उससे परिवार से अलग रहने के लिए नाजायज रूप से दबाव डालते रहे है जिसके लिए मना करने पर झूँठा मुकदमा लिखा दिया है। इस घटना से पूर्व उसकी ससुरालवालो ने उसकी माता के साथ मारपीट की घटना की जिसका परिवाद न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम बुलन्दशहर के न्यायालय में लम्बित चल रहा है। कोई घटना कारित नहीं की गयी है। यद्धपि यह कथन किया है वह पीडिता को आज भी साथ रखने के लिए तैयार है परन्तु समझौता केन्द्र में पीडिता के परिजनो ने पीडिता पर दबाव देकर साथ रहने के लिए मना कर दिया है।

अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया है।

अधिवक्ता वादी पक्ष गौरव कुमार शर्मा न्यायालय में उपस्थित है जिनका वकालतनामा पत्रावली पर संलग्न है। अधिवक्ता वादी की तरफ से जमानत का पुरजोर विरोध किया है तथा कथन किया है कि अभियुक्त पीडिता का पति है तथा उसका दायित्व अन्य से कहीं अधिक अपनी पत्नी की सुरक्षा करने का था परन्तु अभियुक्त के कृत्य के कारण ही आज पीडिता शादीशुदा होते हुए अपने मायके में निवास करने पर मजबूर है। अधिवक्ता वादी की तरफ से यह भी कथन किया है कि समझौता केन्द्र में अभियुक्त द्वारा उसके साथ ही मारपीट की गयी जिसके बावत लूट आदि का मुकदमा उसके द्वारा दर्ज कराया गया है। अतः अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का पात्र नही है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

कार्यालय लिपिक की आख्या के अनुसार यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

अभिलेख से विदित होता है कि केस डायरी आज कार्यालय में उपलब्ध है। केस डायरी में पीडिता की कोई आधात आख्या मौजूद नही है। समझौता वार्ता विफल हो चुकी है। अतः वर्णित तथ्यो, परिस्थिति तथा जमानत के इस स्तर पर गुण दोष पर जाये बिना जमानत का आधार पर्याप्त है।

अतः वर्णित तथ्यो व परिस्थिति में अभियुक्त द्वारा रूपये बीस हजार का स्वीय बन्धपत्र व समान राशि की दो प्रतिभू निष्पादित किये जाने पर उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।